(c) whether the repair work of Unit IV and V had been carried out without ascertaining the reasons of the failure through the enquiry committee; and

(d) which agency has been found responsible for the major failure causing an outage of more than 8 months of units IV and V?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) Yes, Sir. A representative of M/s. Ansaldo, the supplier of Unit IV, was also a member of the enquiry committee set up by National Thtrmal Power Corporation (NTPC). As the investigation required detailed study of the design data, product design, etc.; association of a representative of the supplies was considered essential for timely access to important information, faster analysis, better coordination and arriving at an action plan.

(c) The committee submitted an interim report on 31st May, 1994, based on initial analysis, which indicated very tight margins in the structural designs. The interim report, as a measure of abundant precaution and for faster rehabilitation of units, recommended strengthening of the Electro-static Precipitator (ESP) structures as per technical investigation and analysis. Such strengthening work was started, based on the above report, but was fine-tuned to take care of operational exigencies.

(d) The enquiry committee has submitted its final report to NTPC on 7th February, 1995. The committee has made a detailed technical analysis, whteh is under scrutiny by NTPC.

टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास और मुआवजा

3456. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई है उन्हें न तो उचित मुआवजा दिया गया है और न ही उन लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक मुआवजा दिया जाएगा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पुनर्वास कार्य दो चरणों में किया जा रहा है प्रथम चरण में काफर बांध के निर्माण के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। मुख्य बांध के निर्माण के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास चरण-2 में किया जाएगा। काफर बांध के निर्माण के कारण प्रभावित 2096 परिवारों में से 2034 परिवारों का पुनर्वास चरण-1 में उनको समुचित मुआवजा प्रदान करके कर दिया गया है। शेष 30 परिवारों के लिए उनको पुनर्वास किए जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जहां तक चरण-2 के अन्तर्गत पूर्ण रूप प्रभावित 2845 परिवारों तथा आंशिक रूप से प्रभावित 3998 परिवारों का संबंध है उनमें से 445 परिवारों का पुनर्वास उनको कृषि योग्य भूमि अथवा नगद मुआवजे का भुगतान करके किया गया है। शेष परिवारों का पुनर्वास मुख्य बांध का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में बिजली घरों के लिए कोयले और गैस की आवश्यकता

3457. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रत्येक बिजली घर के लिए कोयले और गैस की कुल कितनी आवश्यकता है ;